13

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 261/16

1. गुलाब
2. किसना
3. छीतर
4. लक्ष्मीनारायण

पिसरान रामचन्द्र जाति रेगर निवासी गंगवाडा तहसील बोली जिला स.मा.

...... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (हैण्ड होल्डर)तहसील बौली जिला स.मा.

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956

उपस्थित— श्री मोह.जाहिद शिर्वानी एडवोकेट वादीगण की और से

आदेश

दिनांक 29.11.22

प्रार्थीयान की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ग्राम गंगवाडा का रहने वाला हैं ग्राम शीशोलाव तहसील बौली के खसरा नं. 929 रकबा 1.53 हैक्टैयर वाके हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं व रिकोर्डेड खातेदार हैं उक्त आराजी के साविक खसरा नं. 614 रकबा 6 बीधा हैं जो प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्रा को आवंटित हुयी थी। आवंटन के बाद मौके पर जाकर कब्जा समलाया गया बाद आवंटन पटवारी हलका शीशोलाव ने मोके पर कबजा संभलाया जिस पर ऋण लेकर कुआ खुदवाया रहवास बनवाया बिजली कनेक्शन लगवाया हैं सेटिलमेंट के दौरान उक्त आराजीयात खसरा नं. 929 की मौके अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं की बल्कि दूसरी जगह तब्दील कर दिया । अतः मौके अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी की और से बाद तामील कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूघ्द एकपक्षीय कार्यवाहीं के आदेश प्रतिपादित किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी पी.ड.1 गुलाबा, पी.ड.2 गोपाल ली गयी एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श—1 जमाबंदी संवत 2068—2071 खाता सं. 47, प्रदर्श—2 जमाबंदी संवत जमाबंदी सं. 2068—'2071, प्रदर्श—3 जमाबंदी संवत 2.50—2053, प्रदर्श—4 गिरदावरी सं. 2066 प्रदर्श—5 गिरदावरी संवत 2068, प्रदर्श—6 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श—9 जमाबंदी संवत 2029—2032 खेवट खतानी,प्रदर्श—8 राजस्व नक्शा हाल एवं प्रदर्श—9 राजस्व नक्शा पुराना पेश किया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

बहस प्रार्थीयान सुनी गयी। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं मनन किया । वादी के अधिवक्ता ने दौराने वाद वहीं तथ्य दोहराये जो कि वाद में वर्णित हैं।

प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि प्रार्थीयान के पिता रामचन्द्र की खातेदारी में खसरा नं. 614 रकबा 6 बीघा प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2029–32 से सिध्द हैं। प्रदर्श–9 के अवलोकन से यह पाया गया कि खसरा नं. 614 बहुत बड़ा रकबा हैं जिसके मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नं. 614 के कुल 21 खसरा नम्बरान बनाये गयें । जो प्रदर्श–8 हाल राजस्व नक्शे में दर्शित हैं । प्रार्थीयान के अधिवक्ता यह प्लीडिंग में सिध्द नहीं कर पायें कि सेटिलमेंट ने किस तरह प्रार्थीयान का खसरा नम्बर को कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में दर्ज न कर अन्य जगह कर दिया। चूंकि काश्तकार गरीब व्यक्ति हैं तथा इस प्रकरण को चलते हुये करीब 6 साल का अर्सा हो चुका हैं । न्यायालय ने अपने स्तर पर मौके की रिपोर्ट तलब की जो तहसीलदार बौली के पत्र कमांक 1012 दिनांक 5.4.22 से प्राप्त हुयी। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.3.22 यह पाया गया कि प्रार्थीयान का ख.नं.929 रकबा 1.53 पर कब्जा नहीं न होकर पडत पडी हुयी हैं। अपितु खसरा नम्बर 895 रकबा 16.91 हैक्टेयर में से 1.53 हैक्टेयर मे कब्जा हैं जो आवंटन के समय से हैं जिस पर मौके पर कुआ लगभग 40 वर्षो से खुदा हुआ हैं। ख.नं. 895 रकबा 16.91 हैक्टेयर वर्तमान में सिवायचक भूमि हैं। लेकिन रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया हैं।जिस पर प्रार्थीयान का कब्जा व काश्त व कुआ आदि वाके हैं।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थीयान को विशिष्ट अनुतोष प्रदान करते हुये खसरा नं. 929 रकबा 1.53 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशोलाव को प्रार्थीयान के खाते से हजफ कर जिम्मन नं.1 में सिवायचक दर्ज किया जाना उचित हैं तथा प्रार्थीयान के कब्जे अनुसार खसरा नं. 895 रकबा 16.91 हैक्टेयर सिवायचक में से प्रार्थीयान के कब्जे अनुसार मिन नं. दर्ज कर 1.53 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी एवं राजस्व नक्शें में दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक हैं। यदि प्रार्थीयान दवारा किसी संस्था/बैंक से ऋण ले रखा हैं तो पूर्वतः यथावत दर्ज किया जावें।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में प्रार्थीयान को विशिष्ट अनुतोष प्रदान करते हुये तहसीलदार बोली को निर्देश दिये जाते हैं कि खसरा नं. 929 रकबा 1.53 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशोलाव को प्रार्थीयान के खाते से हजफ कर जिम्मन नं.1 में सिवायचक दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 895 रकबा 16.91 हैक्टेयर सिवायचक में से प्रार्थीयान के कब्जे अनुसार जहां रिहायशी मकान,बिजली कनेक्शन आदि ले रखे हैं इस पर मिन नं. दर्ज कर 1.53 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी एवं राजस्व नक्शें में दर्ज करे । यदि प्रार्थीयान दवारा किसी संस्था/बैंक से ऋण ले रखा हैं तो इसका इन्द्राज पूर्ववतः जमाबंदी में किया जावे ।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

निर्णय आज दिनांक 29.11.22 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला स.मा.